न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा जिला बारां (राज.)

क्रमांक 225/25

दिनांक 3.10.25

-- :: निर्णय :: --

प्रार्थी श्री मेहरबान सिंह पुत्र/पुत्री/पत्नि मांगीलाल ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम राजपुरा पटवार मण्डल फलिया तहसील छबड़ा जिला बारां की चालू जमाबंदी सम्वत् 2073-76 के खाता संख्या 255 में खातेदार/गैरखातेदार का नाम/~~जाति~~ मेहरवान पुत्र मांग्या अंकित है जो सम्मानजनक नहीं है। जिसे सम्मानजनक रूप से मेहरबान सिंह पुत्र मांगीलाल अंकित किया जावे। प्रार्थी के आवेदन पत्र की जांच पटवारी फलिया से करवाने पर पटवारी ने प्रार्थी के पिता का नाम मांग्या के बजाय मांगीलाल करना उचित बताया। तहसीलदार छबड़ा ने भी उक्त खाते में प्रार्थी के पिता का नाम मांग्या के बजाय मांगीलाल करना उचित बताया।

अतः पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम 369 राजस्थान भूराजस्व (भू अभिलेख) नियम 1957 के अन्तर्गत ग्राम राजपुरा के खाता संख्या 255 में खातेदार/गैर~~खाते~~दार का नाम/~~जाति~~ के पिता का नाम मांग्या के स्थान पर सम्मानजनक रूप से मांगीलाल दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार छबड़ा तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करें।

उपखण्ड अधिकारी
(Land Record Officer)
छबड़ा जिला बारां
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)